प्रेस नोट

दिनांक- 02.09.2023

सराहनीय कार्य जनपद अमेठी पुलिस

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे “operation conviction” अभियान के अन्तर्गत अमेठी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करके दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 60,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

पुलिस अधीक्षक अमेठी के कुशल निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी के पर्यवेक्षण मे महिला सम्बन्धी अपराधों में अपराधियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में चल रहे अभियोगों में मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी कर “**operation conviction**” अभियान के अन्तर्गत माननीय न्यायालय एएसजे-12 सुलतानपुर में मु0अ0सं0 206/2018 धारा 363/366 भादवि व 16/17 पॉक्सो एक्ट थाना संग्रामपुर के अभियुक्त नसीर अहमद पुत्र गरीब उल्लाह नि0 टीकरमाफी थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी को आज दिनांक 02.09.2023 को 10 वर्ष कठोर कारावास एवं 50,000 रु0 अर्थदण्ड , धारा 363 भादवि मे 03 वर्ष का कठोर व 5000 रु0 अर्थदण्ड एवं धारा 366 भादवि मे 03 वर्ष का कठोर व 5000 रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया एवं अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

प्रश्नगत अभियोग में वादी मुकदमा के दिनांक 29.08.2018 समय 03.00 बजे की तहरीरी सूचना के आधार पर वादी की नाबालिग पुत्री को अभियुक्त नसीर अहमद पुत्र गरीब उल्लाह नि0 टीकरमाफी थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी द्वारा बहला-फुसला कर भगा ले जाने की तहरीर पर मु0अ0सं0 206/2018 धारा 363/366 भादवि व 16/17 पॉक्सो एक्ट थाना संग्रामपुर पर पंजीकृत होकर विवेचक उ0निरी0(श्री संतोष कुमार सिंह) द्वारा विवेचना की गयी थी, विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त,आरोप पत्र संख्याः ए-158 दिनांक 26.09.2018 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया था।